

ई-सिस्टम के अन्तर्गत जारी



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला बनारस
तहसील बनारस
आवेदन क्र० 191970030110221
प्रमाणपत्र क्र० 672193052095

तारीख दिनांक 07/08/2019

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री
माता का नाम
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

कु. सोनाली भारद्वाज
श्री संतलाल भारद्वाज
श्रीमती सुनीता भारद्वाज
बहालपुर चोंदगरी



बनारस
बनारस

उत्तर प्रदेश राज्य की भर जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कु. सोनाली भारद्वाज पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से अप्रभावित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: अजीत सिंह, महसुल और सेवा केंद्र
पद: अजीत सिंह, कर्मचारी
स्थान: 20, SIKRAH, बनारस, भारत
दिनांक: 08/08/2019
हस्ताक्षर एवं मुहर

RAV SHANKAR YADAV
Digitally Signed by
RAV SHANKAR YADAV
O=REVENUE,
OU=REVENUE, S=Uttar
pradesh

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
बनारस, बनारस
दिनांक: 07/08/2019

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक विधि से निर्माण प्राप्त किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://up.nic.in> पर इसका पहलू आवेदन क्र० और प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।